फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री मोती | **विपक्षी : श्री फतहसिंह**

किस्म मुकदमा – हकरसी | **पत्रावली संख्या : 28/23**

जीसीएमएस : 2023/421

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 05.11.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 21 नियम 11 जा.दी. का न्यायालय हाजा में दिनांक 21.09.2023 को पेश कर न्यायालय हाजा के प्रकरण सं. 316/11 वाद मोती बनाम फतहसिंह में निर्णय दिनांक 16.07.2012 की पालना जरिये तहसीलदार करवाये जाने का निवेदन किया था परन्तु दस्तावेज के अवलोकन से माननीय न्यायालय भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय के प्रकरण सं. 103/15 एवं 104/15 निर्णय दिनांक 05.09.2017 से न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 16.07.2012 को अपास्त किया जा चुका हैं। अतः माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय अपास्त किये जाने से अब उक्त निर्णय की पालना करवाया जाना सम्भव नहीं हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 21 नियम 11 जा.दी. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया। **(रमेश सीरवी पुनाडिया)** **सहायक कलक्टर** **(SDO) मावली**	

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.11.19 14:10:14 IST
Reason: SelfAttested